72

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1123—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06—06—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 452/अपील/2005—06.

.....

रामकुमार सिंह पटेल तनय केमला सिंह पटेल
निवासी ग्राम पोरहटा तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती रामवती उर्फ मघ्घी पुत्री स्व0 केंमला सिंह पटेल
पत्नी श्री बाबूलाल पटेल निवासी ग्राम पोरहटा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 12.1.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06—06—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता

1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मुस0 चिडड़ी द्वारा एक रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 28.12.92 को अनावेदक के पक्ष में निष्पादित कराया गया। इस बसीयतनामें के आधार पर नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां पर विचारोपरांत नामांतरण आदेश पारित किया गया है। इसी आदेश से दुखी होकर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इससे दुखित होकर रामबती द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 6.6.06 को स्वीकार की गई। इसी से परिवेदित होकर इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट हैं कि सिविल न्यायालय के द्वारा प्रकरण कमांक 129ए/04 दिनांक 29.10.04 के द्वारा यथास्थित का आदेश पारित किया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश का अर्थ समझाने में भूल की है। यथास्थिति का तात्पर्य है कि दिनांक 29.10.04 की जो स्थिति हो वह कायम रखी जाय न कि तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाय। अधीनस्थ न्यायालय अनुाविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार कर सिविल न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की मंशा के विपरीत जाकर आदेश पारित करते हुये अपील स्वीकार की। तहसीलदार के द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया है। नामांतरण से किसी के स्वत्व व हक पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है । स्वत्व व हक का

विनिश्चय न सिविल न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं। अत इस प्रकरण में सिविल न्यायालय से स्वत्व का विनिश्चयन हो जायेगा तो उभयपक्ष उसी आधार पर क़ार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र होंगे। इसी बात का उल्लेख अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश में किया गया है जिससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.6.06 उचित होने से स्थिर रखने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सभाग रीवा के प्रकरण कमांक 452/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2006 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर